सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/SER-2619/MSTL/10/2025-RO-RPR/RU-I **दिनांक:** 05/05/2026.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड,
एनएमडीसी लिमिटेड, खनिज भवन,
कैसल हिल्स, मासाब टैंक,
हैदराबाद, तेलंगाना- 500028
ई-मेल: cmd@nmdc.co.in

विषय: आदिवासी अधिकारी के साथ पदोन्नति में भेद-भाव कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में श्री महेश कुमार कर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी) NMDC लिमिटेड बचेली, दंतेवाड़ा (छ.ग.) से प्राप्त दिनांक 04.08.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 18.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री महेश कुमार कर्मा,
वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी),
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड,
बचेली, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

अनुसंधान एकक-I/Research Unit - I

फाइल संख्या/File No. : NCST/SER-2619/MSTL/10/2025-RO-RPR/RU-I

बैठक की कार्यवाही (Minutes of the Sitting)

<u>नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन</u> (NMDC) लिमिटेड के प्रबन्धन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कार्मिक को पदोन्नति से वंचित करने के संदर्भ में श्री महेश कुमार कर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी) NMDC लिमिटेड बचेली, दंतेवाड़ा (छ.ग.) का अभ्यावदेन दिनांक – 04/08/2025 पर दिनांक 18.03.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आहूत सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 18.03.2026
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री महेश कुमार कर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी) NMDC लिमिटेड बचेली, दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 04/08/2025 के अनुसार प्रार्थी NMDC लिमिटेड बचेली, दंतेवाड़ा (छ.ग.) में कार्यरत है तथा वर्ष 2005 से उनके चयन होने के उपरांत से ही विभाग द्वारा उनके साथ पदोन्नति में शुरू से ही भेदभाव कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है । अभ्यावेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि समय में पदोन्नति नहीं मिलने के कारण उनसे कनिष्ठ अधिकारी उनके वरिष्ठ अधिकारी बन चुके है ।

प्रार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 04/08/2025 पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन. एम. डी. सी. से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाने हेतु दिनांक 08.09.2025 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था।

आयोग के नोटिस के क्रम में सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, खनिज भवन, कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद, तेलंगाना से प्रतिवेदन दिनांक 22/9/2025 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख है कि एनएमडीसी लिमिटेड में कार्यपालकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित पदोन्नति नीति के प्रावधानों और इस उद्देश्य के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार सख्ती से पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार, मौजूदा ग्रेड में न्यूनतम तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद अधिकारी पदोन्नति हेतु विचार के पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा, एनएमडीसी पदोन्नति नीति के प्रावधानों के अनुसार, वरिष्ठ प्रबंधक के ग्रेड में एक अधिकारी को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, सेवा की अवधि, क्षेत्र के अनुभव और साक्षात्कार जैसे विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर वर्तमान ग्रेड में तीन साल पूरे करने पर अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जाता है। वरिष्ठ प्रबंधक के ग्रेड में सभी पात्र अधिकारियों को अगले उच्चतर ग्रेड यानी सहायक महाप्रबंधक में उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

प्रार्थी के वरिष्ठ प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक के पद पर पदोननति के सम्बन्ध में अवगत कराया कि श्री महेश कुमार कर्मा ने 31.01.2005 को जूनियर ऑफिसर (मैकेनिकल) ट्रेनी के पद पर एनएमडीसी लिमिटेड में कार्यभार संभाला और नियमितीकरण की तिथि 13.01.2006 है। श्री महेश कुमार कर्मा को एनएमडीसी पदोन्नति नीति के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर पदोन्नति प्रदान की गई है। तथा लिमिटेड में नियुक्तियाँ पूर्णतः योग्यता और कार्य-निष्पादन के आधार पर, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना की जाती हैं। यह प्रक्रिया एनएमडीसी पदोन्नति नीति के पूर्णतः अनुपालन में और विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर संचालित की जाती है।

आयोग के पत्र दिनांक 25/10/2025 द्वारा प्रार्थी को विभागीय प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। जिसके क्रम में दिनांक 07/11/2025 को प्रार्थी ने प्रस्तुत पुनः प्रतिवेदन में अवगत कराया कि उन्हें पदोन्नति पूर्व कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था तथा दिनांक 5/7/2024 को सम्पन्न साक्षात्कार में केवल 2 ही सदस्य थे, अनुसूचित जाति/जनजाति को साक्षात्कार समिति में सम्मिलित ही नहीं किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18/3/2026 को सिटिंग आहूत कि गई।

सुनवाई तिथि को अध्यक्ष, एन. एम. डी. सी. के प्राधिकृत पत्र के साथ श्री भूपेश कुमार, सहायक महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (मानव संसाधन) उपपस्थित हुये तथा प्रार्थी अनुपस्थित रहे। सहायक महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि वर्तमान में प्रचलित पदोन्नति नीति के प्रावधानों के अनुसार, वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को वर्तमान पद पर तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है। यह विचार विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों जैसे वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), सेवा अवधि, क्षेत्रीय अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। वरिष्ठ प्रबन्धक ग्रेड के सभी पात्र अधिकारियों को अगली उच्च श्रेणी अर्थात सहायक महाप्रबंधक (Assistant General Manager) के पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। वरिष्ठ प्रबन्धक से सहायक महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के मामले में, उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर कुल पात्र अधिकारियों में से 50% को पदोन्नति प्रदान की जाती है, जैसा कि पदोन्नति नीति में प्रावधानित है।

श्री महेश कुमार कर्मा ने 31.01.2005 को एनएमडीसी लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर (मैकेनिकल) प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइन किया तथा उनकी नियमितीकरण तिथि 13.01.2006 है। श्री महेश कुमार कर्मा की पदोन्नति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	पद	अवधि
1.	सहायक प्रबन्धक (यान्त्रिकी)	08.08.2011 से 30.12.2015
2.	उप प्रबन्धक (यान्त्रिकी)	31.12.2015 से 29.06.2018

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3.	प्रबन्धक (यान्त्रिकी)	30.06.2018 से 29.06.2021
4.	वरिष्ठ प्रबन्धक (यान्त्रिकी)	30.06.2021 से अभी तक

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री महेश कुमार कर्मा को एनएमडीसी पदोन्नति नीति के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

सिटिंग के दौरान वरिष्ठ प्रबन्धक से सहायक महाप्रन्धक के पद पर साक्षात्कार हेतु बुलाये गये कार्मिक का विवरण, आरक्षित वर्ग से पदोन्नत किये गये कार्मिको का विवरण, साक्षात्कार बोर्ड/समिति का विवरण तथा चयन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज आयोग को प्रस्तुत किये गये। सहायक महाप्रबन्धक ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एनएमडीसी लिमिटेड में पदोन्नतियाँ पूर्णतः योग्यता एवं प्रदर्शन के आधार पर की जाती हैं, तथा जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यह प्रक्रिया एनएमडीसी पदोन्नति नीति के कठोर अनुपालन में तथा विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक नवरत्न सीपीएसई होने के नाते, एनएमडीसी लिमिटेड पदोन्नति, मूल्यांकन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार के लागू नियमों एवं विनियमों का पालन करता है।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है :

सिटिंग के दौरान नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) लिमिटेड के प्रबन्धन द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक से सहायक महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त एवं प्रार्थी द्वारा वर्ष 2005 से नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) लिमिटेड में सेवा प्रारम्भ करने से लेकर वर्ष 2025 तक 20 वर्षों में प्रशिक्षु, प्रशिक्षु से नियमितिकरण तथा कुल 4 पदोन्नतियां प्रदान करने में आयोग को अनुसूचित जनजाति के रूप में उनके साथ किसी भी प्रकार के भेद-भाव के साक्ष्य नहीं मिलने के कारण पत्रावली को बन्द किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/SER-2619/MSTL/10/2025-RO-RPR/RU-I

दिनांक: 18.03.2026

विषय: आदिवासी अधिकारी के साथ पदोन्नति में भेद-भाव कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में श्री महेश कुमार कर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी) NMDC लिमिटेड बचेली, दंतेवाड़ा (छ.ग.) से प्राप्त दिनांक 04.08.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 18.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड,
हैदराबाद, तेलंगाना

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Bhupesh Kumar	AGM (HR)	9584614502	[signature]
2.	Sudhir Gulia	Sr. Mgr (HR)	9571826019	[signature]
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				